

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-39/दो/गृह/07.—सभी विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	डॉ. राम ओत्तलवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
2.	डॉ. कृष्ण कुमार वर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
3.	श्री संतलाल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
4.	श्री दुर्गेश साय पैकरा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
5.	श्री प्रहलाद सिंह कुसरो	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
6.	डॉ. राजू गाड्ड	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
7.	श्री देवकुमार सिंह	सहायक संचालक मत्स्योद्योग
8.	श्री राकेश चौबे	डिप्टी रेंजर

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

9.	श्री योगेश कुमार मेश्राम	कृषि विकास अधिकारी
10.	श्री पी. आर. बघेल	सहायक संचालक कृषि
11.	श्री संजय कुमार डहरिया	कृषि विकास अधिकारी
12.	श्री बलदेव भरकाम	मानचित्रकार
13.	श्री सतीश कुमार अहिरवार	सहायक संचालक मत्स्योद्योग

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

14.	श्री मनोज कुमार सागर	कृषि विकास अधिकारी
-----	----------------------	--------------------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 1-18/16/05.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा-7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1-18/2005/16, रायपुर दिनांक 27-10-2005 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्वारा :—

- (अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में

अधिसूचना जारी तिथि से नियुक्त करता है :-

सारणी

अ. क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी का नाम (3)
1.	श्रम न्यायालय, रायपुर	श्री प्रदीप कुमार सोनी
2.	श्रम न्यायालय, बिलासपुर	श्री एस. के. टाइटस
3.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री एस. के. त्रिपाठी
4.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री ए. के. सनोठिया
5.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री एस. के. टाइटस
6.	श्रम न्यायालय, कोरबा	श्री एस. एल. मात्रे

- (ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनकी कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गईं, उक्त कार्यवाहियां उस प्रक्रम से आगे चलायेंगे, जिस पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुईं हैं।

Raipur, the 2nd April 2007

No. F 1-18/16/05.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and making partial amendment in the notification No. 1-18/2005/16 Raipur Dated 27-10-2005 issued in this behalf of the State Government hereby :-

- (A) Constitutes the Labour Courts specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said Act, and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said table as the Presiding Officers of the said Courts with prospective effect from date of notification to Labour Court concerned, :-

TABLE

S. No. (1)	Name of Labour Court (2)	Name of Presiding Officer (3)
1.	Labour Court, Raipur	Shri P. K. Soni
2.	Labour Court, Bilaspur	Shri S. K. Titus
3.	Labour Court, Ambikapur	Shri S. K. Tripathi
4.	Labour Court, Jagdalpur	Shri A. K. Sanothiya
5.	Labour Court, Raigarh	Shri S. K. Titus
6.	Labour Court, Korba	Shri S. L. Matre

- (B) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed with them from the stage at which they are transferred.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.